राजस्थान आवासन मंडल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(राज0 आवा0 मंडल अधिनियम 1970 के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)

क्रमांक : रा.आ.मं./मु.अभि.मु./2024–25/357 दिनांक : 18/03/2025

–: कार्यालय आदेश :–

राजस्थान सरकार के वित्त (वित्तीय नियम) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.06.2024 द्वारा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के परिशिष्ट-XVI में संशोधन किये गये थे। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 18 के अनुसार वर्तमान में पंजीकृत संवेदकों से बढ़ी हुई सिक्यूरिटी डिपोजिट की अन्तर राशि उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से 6 माह में जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया था।

राजस्थान सरकार के वित्त (वित्तीय नियम) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.6(2)/वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 24.12.2024 द्वारा बढ़ी हुई सिक्युरिटी डिपोजिट की अन्तर राशि जमा कराने की अवधि को दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

अतः राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश के अनुक्रम में बढ़ी हुई सिक्युरिटी डिपोजिट की अन्तर राशि जमा कराने की अवधि को दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाया जाता है।

(डा0 रश्मि शर्मा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, रा0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता प्रथम/ द्वितीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, रा0आ0म0, जयपुर।
5. निदेशक (विधि), रा0आ0म0, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर/ जोधपुर।
7. समस्त उप आवासन आयुक्त (मु0)/गुण0 नियंत्रण/परियोजना शाखा /वृत्त.....
8. समस्त आवासीय अभियन्ता –ई–प्रोक/रेरा/विद्युत/पीएचई–प्रथम/द्वितीय/.....
9. संयुक्त निदेशक (एस.ए.) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज0आ0म0, जयपुर–ई–मेल से सम्बन्धितों को प्रेषित करने एंव विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सम्पदा प्रबन्धक (अभिलेख) रा0आ0म0, जयपुर।
11. कार्यालय / रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.12 18:48:13 IST
Reason: Approved